(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे मे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) . (क) कभी कभी व्यक्तियो को सड़क कर जमा करने के लिये जनपथ कार्यालय मे पंक्ति प्रतीक्षा करना पड़ती है और यह स्वाभाविक है कि उस हद तक उन्हे असुविधा होती है। तथापि यदि मोटर गाडियो के मालिक दिल्ली मोटर कराधान अधिनियम, 1962 म उल्लिखित विभिन्न माफी अवधि मे अंतगा अदायगी करने से बचे रहे, और गर सरकारी कार और स्कूटर के मालिक कर जमा करने के लाजपत नगर, मीरदर्द मार्ग, पूसा मार्ग इत्यादि के अतिरिक्त काउण्टरो से भी लाभ उठाते रहे ।

परिचालन लाइसेंस प्राप्त करने मे जनता की हुई असुविधा का कोई मामला दिल्ली प्रशासन की दृष्टि मे नही आया है।

(ख) दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान कर की धारा 4 के अन्तर्गत मोटर गाडी का मालिक स्वयम् अथवा किसी अधिकर्त्ता (एजेन्ट) के मार्फत कर जमा कर सकता है। अत : यदि कोई मोटर गाडी मालिक किसी बिचौलिया के मार्फत कर भेजता है तो दिल्ली प्रशासन अधिकर्त्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही कर सकता है।

(ग) प्रश्न नही उठता है।

छोटी बचत योजनाओं के अधीन जमा राशि

633. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत 183 50 करोड रुपये की बचत हुई जबकि वर्ष 1969-70 के दौरान केवल 127 करोड रुपये की बचत हुई थी।

(ख) यदि हा, तो समाज के उन वर्गों का विवरण क्या है जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत अपनी बचत जमा की और उन वर्गों के नाम क्या है जो इसमे सहयोग देने मे असफल रहे, और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) हालांकि 1970-71 मे अल्पबचत योजना के अन्तर्गत इकट्ठी की गई रकम के अन्तिम आकडे अभी उपलब्ध नही है, फिर भी सबसे हाल की सूचना के अनुसार 1970-71 मे 188 करोड रुपये की रकम इकट्ठी हुई है जबकि 1969-70 म 127 करोड रुपये की रकम इकट्ठी हुई थी।

(ख) अल्प बचतो मे इकट्ठी की गयी रकमो के आकडे विभिन्न बचत पत्रो और जमा की बिक्री और बिराशी के अनुसार, योजनावार और राज्यवार उपलब्ध है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अल्प बचतो मे जमा की गयी रकमो के आंकड़ो सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यह बताना नही सम्भव है कि समाज के किस वर्ग ने इसमे सहयोग नही दिया है।

(ग) यह प्रश्न पैदा नही होता

दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए एयर इण्डिया के सुझाव

634. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिन प्रतिदिन अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एयर इण्डिया से सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०-कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमेरिका से सहायता

635. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका ने भारत को अब तक कितनी सहायता दी है ;

(ख) भारतीय मुद्रा के अनुसार उसका क्या मूल्य है ;

(ग) उक्त सहायता में से विकास अनुदान की राशि कितनी है और उसकी वापसी के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) उसमें से भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी राशि वापिस दी जानी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1971 की स्थिति के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत सरकार को दी गयी सहायता की रकम 5805.7 करोड़ रुपये बैठती है, जिस में पूंजीगत सहायता की रकम 2577.7 करोड़ रुपये, खाद्य और अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए सहायता की रकम 2890.4 करोड़ रुपये और तकनीकी की सहायता की रकम 337.6 करोड़ रुपये है ।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गयी कुल सहायता में से विकास अनुदानों की रकम 724.7 करोड़ रुपये हैं, जिस में ये शामिल हैं—तकनीकी सहायता के लिए डालर अनुदान (337.6 करोड़ रुपये), अन्य डालर अनुदान (15.0 करोड़ रुपये) और खाद्य तथा अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए सहायता से निर्मित प्रतिरूप रुपया निधियों के रुपया अनुदान (372.1 करोड़ रुपये)। ऋण-सहायता के सम्बन्ध में वापसी-अदायगियां तब कर दी जाती है जब-जब वे देय होतीं हैं ।

(घ) भारतीय मुद्रा में वापस की जाने वाली ऋण सहायता की रकम 1955.6 करोड़ रुपये हैं, जिसमें खाद्य और अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए सहायता से निर्मित प्रतिरूप रुपया निधियों से रुपया ऋणों की रकम 1541.0 करोड़ रुपये और विकास सहायता ऋणों की रकम 414.6 करोड़ रुपये हैं। विदेशी मुद्रा में वापस की जाने वाली ऋण-सहायता की रकम 2620.8 करोड़ रुपये है जिस में अन्त-राष्ट्रीय विकास अभिकरण/आयात-निर्यात बैंक डालर ऋणों की रकम 2148.2 करोड़ रुपये और खाद्य तथा अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए डालर ऋणों की रकम 472.6 करोड़ रुपये हैं ।